

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 19 सन 2022

अनवान :-

1. मनीराम उर्फ मुनाराम पुत्र अर्जुनराम जाति मेधवाल निवासी गरिडा तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर।

वादी

बनाम

1. पतासी पत्नि अर्जनराम जाति मेधवाल निवासी गरिडा तहसील फतेहपुर शेखावाटी
2. सन्तोष पुत्री अर्जनराम जाति मेधवाल निवासी गरिडा तहसील फतेहपुर शेखावाटी
3. भंवरी पुत्री अर्जनराम जाति मेधवाल निवासी गरिडा तहसील फतेहपुर शेखावाटी
4. कमला पुत्री अर्जनराम जाति मेधवाल निवासी गरिडा तहसील फतेहपुर शेखावाटी
5. रेवताराम पुत्री विमलादेवी पत्नी श्योपाल जाति मेधवाल निवासी गरिडा तहसील फतेहपुर शेखावाटी
6. पूर्णराम पुत्र विमलादेवी पत्नी श्योपाल जाति मेधवाल निवासी गरिडा तहसील फतेहपुर शेखावाटी
7. सुमित्रा पुत्री विमलादेवी पत्नी श्योपाल जाति मेधवाल निवासी गरिडा तहसील फतेहपुर शेखावाटी
8. सरोज पुत्री विमलादेवी पत्नी श्योपाल जाति मेधवाल निवासी गरिडा तहसील फतेहपुर शेखावाटी
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 28/01/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही गौजा थिराना के खाता संख्या 327/151 की कुल 4.8060 हैक्ठ्ठ भूमि में सयुक्त तौर से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा अर्जनराम पुत्र मालाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरासतन से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी की माता एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 वादी की मृतक बहन विमला के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्र/पुत्री /मृतक पुत्री के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 जो वादी की माता/बहने एव बहने के वारिसान है के नाम से दर्ज भूमि का वादी खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

1 ता 8 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता अर्जनराम पुत्र मालाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्र वादी के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 9 परोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 327/151 की कुल 4.8060 हैक् भूमि में सयुक्त तौर से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा अर्जनराम पुत्र मालाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी की माता एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहने हैं एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 वादी की मृतक बहन विमला के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्र/पुत्री /मृतक पुत्री के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।


वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 327/151 की कुल 4.8060 हैक् भूमि में सयुक्त तौर से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज अर्जनराम पुत्र मालाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की माता एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 वादी की मृतक बहन के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी के पक्ष में त्याग किया हुआ है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने पुत्र/भाई वादी के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनो के समर्थन में ईकबाल पेश किया जा चुका


उपरोक्त अधिकारी
मोहर

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 327/151 की कुल 4.8060हैक् भूमि में सयुक्त तौर से 1.67515हैक् भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार धोषिता किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/01/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्दा दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. मनीराम उर्फ मुनाराम पुत्र अर्जुनराम जाति मेधवाल निवासी गरिडा तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर।

वादी

बनाम

1. पतासी पत्नि अर्जनराम जाति मेधवाल निवासी गरिडा तहसील फतेहपुर शेखावाटी
2. सन्तोष पुत्री अर्जनराम जाति मेधवाल निवासी गरिडा तहसील फतेहपुर शेखावाटी
3. भंवरी पुत्री अर्जनराम जाति मेधवाल निवासी गरिडा तहसील फतेहपुर शेखावाटी
4. कमला पुत्री अर्जनराम जाति मेधवाल निवासी गरिडा तहसील फतेहपुर शेखावाटी
5. रेवताराम पुत्री विमलादेवी पत्नी श्योपाल जाति मेधवाल निवासी गरिडा तहसील फतेहपुर शेखावाटी
6. पूर्णराम पुत्र विमलादेवी पत्नी श्योपाल जाति मेधवाल निवासी गरिडा तहसील फतेहपुर शेखावाटी
7. सुमित्रा पुत्री विमलादेवी पत्नी श्योपाल जाति मेधवाल निवासी गरिडा तहसील फतेहपुर शेखावाटी
8. सरोज पुत्री विमलादेवी पत्नी श्योपाल जाति मेधवाल निवासी गरिडा तहसील फतेहपुर शेखावाटी
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 19 सन 2022 निर्णय दिनांक-28/01/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 327/151 की कुल 4.8060हैक् भूमि में सयुक्त तौर से 1.67515हैक् भूमि वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/01/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर